जी.एस.टी. संक्षिप्त जानकारी

ता. 1/07/2017 से देश मे गुड्स एंड सर्विस टेक्स (GST) का कानून लागू कर दिया गया है जिसके मुताबिक रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस मे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी (GTA) के लिए नीचे मुजब नियमो का प्रावधान किया गया है ।

GST मे रजीस्ट्रेशन होने की सीमा रु 20 लाख है, यानि की वित्तीय वर्ष के दौरान आपका टर्नओवर किसी भी समय रु 20 लाख से अधिक हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेसन करवाना अनिवार्य है । उत्तर पूर्वी राज्यो के लिए यह सीमा रु 10 लाख की रक्खी गई है ।

रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए दिनांक – 19/06/2017 के दिन भारत सरकार ने परीपत्र न 5/2017 सेंट्रल टेक्स जारी कर बताया कि GTA सर्विस को RCM (रीवर्स चार्ज मिकेनिजम) के तहत रखा गया है जो भी व्यापारी/व्यक्ति GTA की सर्विस लेगा उस व्यापारी/व्यक्ति को GTA service पर लगने वाला 5% GST खुद भरना पड़ेगा । इस तरह GTA(गुड्स ट्रांसपोर्टर) को GST मे रजिस्टर नहीं करवाने की छूट दी जाती है ।

22 August 2017 के दिन भारत सरकार ने notification No 20/2017 12% with input tax credit जारी कर जो गुड्स ट्रांसपोर्टर FCM मे जाना चाहते थे उन्हे FCM मे जाने की सुविधा प्रदान कर दी ।

अब गुड्स ट्रांसपोर्टर के पास दो विकल्प हो गए (1) RCM 5% without input tax credit और (2) 12% FCM with input tax credit

(1) 5% RCM - No input tax credit -

(A.) इसमे गुड्स ट्रांसपोर्टर को GST मे रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है बशर्ते वो GST council के द्वारा बताए हुये व्यापारियो के साथ ही काम करे जैसे -

* लिमिटेड कंपनी या प्रा लीमिटेड कंपनी
* फेकटरी एक्ट मे रजिस्टर फेक्टरी
* पार्टनर्शीप फर्म
* सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट मे रजिस्टर हो, को-ओप सोसायटी
* ऐसे कोई भी व्यापारी या व्यक्ति जो sgst/cgst/utgst के तहत रजिस्टर हो
* केजुयल टेकसेबल पर्सन

उपरोक्त सभी व्यवसायी/व्यक्ति गुड्स ट्रांसपोर्टेसन की सर्विस लेने पर लगने वाला GST RCM के तहत खुद ही भरेंगे यानी गुड्स ट्रांसपोर्टर को उनसे टेक्स नहीं लेना है और न ही भरना है। गुड्स ट्रांसपोर्टर को कोई इनपुट टेक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तथा उन्हे GST मे एनरोलमेन्ट नंबर लेना होगा (ENR-01)

सर्विस टेक्स की तरह ही GST मे भी प्रति व्यक्ति भाड़ा रु 750/- व पूरे ट्रक का भाड़ा रु 1500/- तक को GST से छुट दी गयी है ।

(B). इसमे अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टर 5% RCM के तहत रजिस्टर होना चाहता है तो वो रजिस्टर हो सकता है जिसके तहत उसे GST No लेना होगा और वो सभी तरह के व्यापारी /व्यक्ति के माल की बुकिंग कर पाएगा जो व्यापारी/व्यक्ति GST के तहत रजिस्टर है उनसे उसे GST वसूल नहीं करना है परंतु जो व्यापारी/व्यक्ति GST के तहत रजिस्टर नहीं है यानी अनरजिस्टर है उनसे उसे 5% GST लेकर आने वाले महीने की 10 तारीख तक सरकार मे जमा करवाना होगा । इसमे भी गुड्स ट्रांसपोर्टर को कोई इनपुट टेक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा ।

(2) 12% FCM- With Input Tax credit -

इसके तहत गुड्स ट्रांसपोर्टर को GST No लेकर रजिस्टर होना होगा और उसे उसके द्वारा बुकिंग करवाने वाले सभी व्यापारी/व्यक्ति से 12% GST वसूल कर सरकार मे जमा करवाना होगा, चाहे व्यापारी/व्यक्ति GST मे रजिस्टर हो या ना हो । उसके सामने गुड्स ट्रांसपोर्टर को उसके द्वारा की गई खरीद पर Input Tax Credit मिलेगी जैसे- Truck purchase, truck tyre, oil , repairing furniture, mobile phone etc

गुड्स ट्रांसपोर्टर को RCM पसंद करना है या FCM इसका चुनाव उसको वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे ही करना होगा वर्ष के बीच मे से वो अपनी केटेगरी नहीं बदल सकता ।

ट्रांसपोर्टर को अपने रेकॉर्ड सही रखने होंगे गोदाम व ट्रक मे माल बिल्टी /बिल के हिसाब से होना चाहिए , माल लेने वाला, भेजने वाला, उनका जीएसटी न, माल का पूरा ब्योरा संबन्धित शाखा मे पूरा मेंटेन करना पड़ेगा ।

GST मे से खेत पेदास जैसे कठोल , अनाज , चावल, दाल, आटा , नमक, दूध ,जैविक खाद, अखबार आपातकालीन सहायता सामाग्री, फौज का सामान आदि को छूट दी गई है ।

यदि आपने अपना सर्विस टेक्स नंबर अभीतक GST मे तबदील नहीं करवाया हो या फिर आप नया नंबर लेना चाहते है तो 30/09/2017 तक प्राप्त कर सकते है ।